01.03.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही नही की जा रही। अत वकील प्रार्थी उपस्थित नही आ रहे। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्तिथ नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना—पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार पुनः नये सिरे से दावा लगाने के लिए स्वतंत्र रहेगे। आदेश सुनाय गया।

Divya
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251—ए(1)(बी)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
(संशोधित अधिनियम सन् 2010)

107/2023

1— मिठू सिंह पुत्र स्व0 श्री चड़त सिंह
2— बलकरण सिंह | पुत्रगण श्री मिठू सिंह
3— गुरमीत सिंह
जाति जटसिख निवासीगण अराईयांवाली, त

बनाम

1— नसीब कौर धर्मपत्नी श्री मिठू सिंह आयु 68 व
तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2— तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़, तहसील

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—25
काश्तकारी अधिनियम (संशोधित

श्रीमान् जी,

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण निम्नलिखि

1— यह कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की खाते
क्षेत्र किशनपुरा दिखनादा तहसील हनुमान
प्रार्थीगण की इस भूमि में आने—जाने हेतु
तथा इस कारण प्रार्थीगण को रास्ता क
Necessity) है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि
स्त्रोत नहीं है, इस कारण प्रार्थीगण रास्ता
पर निवेदन करते है :—

(i) प्रार्थीगण का ...ता/पति का न
1—मिठू सिंह पु... श्री चड़त सिंह अ
2—बलकरण सिंह आयु 50 वर्ष
3—गुरमीत सिंह उम्र 48 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:06:28 IST
Reason: SelfAttested